1.	योजना का नाम	छात्रावास योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विभाग द्वारा राज्य के जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, अन्य पिछड़ा वर्ग (विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों) के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों के माध्यम से गरीब एवं पिछड़े वर्गों के परिवारों के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें समाज में योग्य एवं संस्कारवान बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ होकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1952-53
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वच्छकार एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी
5.	पात्रता	• विद्यार्थी का चरित्र उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। • विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं हो। • विद्यार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वच्छकार या विशेष पिछड़ा वर्ग को होना आवश्यक है। • छात्रावास में कक्षा 6 से 10+2 के ही विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। महाविद्यालय स्तर के छात्रावास महिला विद्यार्थियों के लिये सम्भाग स्तर पर। • विद्यार्थी को मैरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। • नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी ही प्रवेश का हकदार है। • शैक्षणिक सत्र 2011-12 से आरक्षित वर्ग के BPL छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। छात्रावासों में पूर्व से अध्ययनरत छात्र-छात्रा जो गैर BPL परिवार से हैं, को अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा।

6.	देय सुविधाएं	राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाएं निम्नानुसार हैं :- • भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन • स्कूल यूनिफॉर्म आदि • तेल, साबुन, बाल कटाई आदि • चादर, तकिया, खोली, तौलिया, धुलाई • बिजली- पानी • समाचार पत्र / पत्रिकाएं
7.	आवेदन का तरीका	छात्रावास में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन किया जायेगा। जिसकी जांच संबंधित छात्रावास अधीक्षक से करवाकर पात्र विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर चयन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाती है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति पिछली कक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग